मध्यप्रदेश

क्रमांक /स्था.गोप./ 1(2) /07 / 561 भोपाल, दिनांक 5/4/2007

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत (समस्त),
मध्यप्रदेश.

विषयः— आदिवासी विकास खंडों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली.

संदर्भः— मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ–23, भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 07 एवं मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का ज्ञापन क्रमांक डी–482 /78/ 2007 /3/25, भोपाल, दिनांक 6.3.07.

—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर अध्यक्ष जनपद पंचायत के मतांकन से संबंधित मान. मुख्यमंत्री , मध्यप्रदेश शासन की घोषणा के पालन में विकास आयुक्त कार्यालय ,मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 18751 /678/22/ व्ही.2 / स्था./05/, दिनांक 24.11.2006 व्दारा सामुदायिक जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर अध्यक्ष जनपद पंचायत के मतांकन करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं।

अधिसूचित क्षेत्र (आदिवासी विकास खंड, जनपद पंचायत) में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर जनपद पंचायत अध्यक्ष के मतांकन को सम्मिलित करते हुए एतद् व्दारा निम्नानुसार गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली संशोधित की जाती हैः—

अधिकारी का नाम व पद जिसकी गोपनीय प्रतिवेदन लिखी जाना है.	कार्यालय जिसमें फार्म तैयार किया जायेगा.	प्रथम मतांकन कर्त्ता अधिकारी.	द्वितीय मतांकन कर्त्ता अधिकारी.	तृतीय मतांकनकर्त्ता अधिकारी (स्वीकार कर्त्ता अधिकारी)	प्रतिकूल टीप संसूचित करने वाले अधिकारी	कार्यालय जहां चरित्रावली संधारित की जायेगी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	स्वयं के व्दारा	अध्यक्ष जनपद पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पदेन अपर आयुक्त , आदिवासी विकास	आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश	आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश	आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश.

पृ०/क्र० /स्था.गोप./ 07 / 562 भोपाल, दिनांक 5/4/07

प्रतिलिपिः—

(1) 1. सचिव,मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक डी. 482/78/2000/1/25 भोपाल, दिनांक 6.3.2007 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

(1) 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल.

(1) 3. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.

(48) 4. समस्त कलेक्टर, म.प्र.

(18) 5. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, म.प्र.

(26) 6. समस्त परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,म.प्र.

(89) 7. समस्त अध्यक्ष, जनपद पंचायत(आदिवासी विकास खंड) ,म.प्र.

(89) 8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (आदिवासी विकास खंड) म.प्र.

272

आयुक्त
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश.

o/c